न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–श्री गांगीलाल, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा–296/2020

अन्तर्गत धाराः– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. मनदीप सिंह
2. रिछपाल सिंह

पुत्रगण जंगीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 3 टी.एल.डब्लयू तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 3 टी.एल.डब्लयू, तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कमलजीत कौर पत्नी सर्वजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा।
3. बलविन्द्र कौर पत्नी रणवीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–श्री बलविन्द्र सिह थिन्द अधिवक्ता वादीगण
श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 04.01.2021

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा कृषि भूमि की घोषणा बाबत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि वादीगण काश्तकारी पेशा व्यक्ति है जिनकी कृषि भूमि वाके चक न0 3 टी.एल.डब्लयू के संयुक्त खाता स0 81/194 के प0 न0 236/287(7) के किला न0 12, 13, 17/1, 17/2, 18, 19, 22 ता 24, प0 न0 236/288 (8) के किला न0 1, 10, प0 न0 237/288(9) के किला न0 21 ता 23, 24/1, 24/2, प0 न0 237/289(16) के किला न0 24, प0 न0 237/290(19) के किला न0 3, 4 कुल 4.3010 हैक्टेयर भूमि नाली प्रथम किस्म की पड़ती है। वाद पत्र की चरण स0 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी के नाम से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी स0 1 के वादीगण पुत्र तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 पुत्रिया है। वादी के दादा इन्द्र सिंह अर्सा समय पूर्व चक 17 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में निवास करते थे तथा चक 17 आर.बी में ही वादीगण के दादा इन्द्र सिंह की कमाण्ड व अनकमाण्ड़ किस्म की 26 बीघा कृषि भूमि पड़ती थी जिसे वादीगण के दादा ने विक्रय कर दिया और उक्त विक्रय शुदा कृषि भूमि से प्राप्त रूपयो से वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि अपने पुत्रगण जंगीर सिंह व रणजीत सिंह के नाम से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

खरीद की थी इस प्रकार वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि को लेकर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य कुछ अर्सा समय पूर्व पारिवारिक बंटवारा हुआ था और पारिवारिक बंटवारा वादीगण एंवम प्रतिवादी की सहमति से काश्त की सहूलियत को मध्यनजर रखते हुए किया गया था और पारिवारिक बंटवारा के तहत वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि में 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि मुझ वादीगण को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई थी तभी से हम वादीगण पारिवारिक बंटवारा अनुसार प्राप्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादी को चक 3 टी.एल.डब्लयू में 4 बीघा कृषि भूमि पारिवारिक बंटवारा के तहत प्राप्त हुई थी। पारिवारिक बंटवारा में प्रतिवादी स0 2 व 3 ने वाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि में अपने हक व हिस्सा का वादीगण एंव प्रतिवादी स0 1 के पक्ष परित्याग कर दिया था। पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि वादीगण के हक व हिस्सा की है जिसकी वादीगण माननीय न्यायालय से घोषणा प्राप्त करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने दो दिवस पूर्व प्रतिवादी से निवेदन किया कि पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र रिपोर्ट कार्यालय से होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने अदालत में अपना इकबाल दावा पेश किया। साक्ष्य में वादीगण ने अपना शपथ पत्र पेश किया व साक्ष्य में सदस्यता प्रमाण पत्र व बैयनामा की फोटोप्रतिया पेश की गई। बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र निर्णित किये जाने में कोई आपति पेश नहीं कर वाद अनुतोष को स्वीकार किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील मनन किया वाद में अंकित भूमि की घोषणा के अनुतोष का किसी भी पक्षकार ने विरोध नहीं कर सहमति जाहिर की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विरोध में कोई भी साक्ष्य या आपति पेश नहीं की। पत्रावली पर विरोध में कोई भी कथन या जवाब पेश नहीं है बल्कि वाद को स्वीकार करने की सहमति इकबाल दावा में रिकार्ड पर है वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को जरिये मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है इसलिए वाद वादीगण डिक्री होने योग्य है।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद पत्र डिक्री कर आदेश दिया जाता है कि चक 3 टी.एल.डब्लयू. के संयुक्त खाता स0 81/194 में प्रतिवादी स0 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में वादीगण को 2.0240 हैक्टेयर कृषि भूमि का व0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा कम करते हुए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे, पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

प्र.सं. –296/2020 पीठासीन अधिकारी–श्री मांगीलाल, आर.ए.एस.

1. मनदीप सिंह
2. रिछपाल सिंह

पुत्रगण जंगीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 3 टी.एल.डब्लयू, तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चक 3 टी.एल.डब्लयू, तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. कमलजीत कौर पत्नी सर्वजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी रानिया तहसील रानिया जिला सिरसा।
3. बलविन्द्र कौर पत्नी रणवीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल, आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बलविन्द्र सिंह, वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत, प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 टी. एल.डब्लयू के संयुक्त खाता स0 81/194 में प्रतिवादी स0 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में वादीगण को 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि का ब0हि0ब0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा कम करते हुए वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..X..निल...X.....मुब्लिक.X.निल...X.........बाबत..X..निल.....X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 04.01.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी